श्री [illegible] गोपाल मन्दिर न्यास डगटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

<u>अंकेक्षण अवधि 1.1.05 से 31.12.08</u>

भाग—एक

1\. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :—

मन्दिर न्यास के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की निपटारे हेतु शेष पैरों पर की गई कार्यवाही की जांच वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई तथा जिन पैरों का मौके पर निपटारा हो सकता था, उनका निपटारा कर दिया गया । वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त निपटारे हेतु शेष पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है ।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 12.3.96 से 31.12.98 तक :—

1	पैरा 1	निर्णीत । की गई कार्यवाही अनुसार ।
2	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	निर्णीत । दिए गए उत्तर अनुसार ।
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 14	निर्णीत । की गई कार्यवाही अनुसार ।
8	पैरा 16	पहले से निर्णीत
9	पैरा 19	निर्णीत । की गई कार्यवाही अनुसार ।
10	पैरा 20	अनिर्णीत
11	पैरा 21	अनिर्णीत
12	पैरा 24	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 1/2000 से 12/2000 तक :—

1	पैरा 6(ख)	निर्णीत । की गई कार्यवाही अनुसार ।
2	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 1/2001 से 12/2002 तक :—

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	निर्णीत । की गई कार्यवाही अनुसार ।
4	पैरा 12	—यथोपरि—

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 1/2003 से 12/2004 तक :—

1	पैरा 4	निर्णीत । की गई कार्यवाही अनुसार ।
2	पैरा 5	[illegible]र्णीत । नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है ।
3	पैरा 6	अनिर्णीत ।
4	पैरा 7	निर्णीत । रु0 2200.00 रु. वसूल कर जमा करवाए गए ।
5	पैरा 8	अनिर्णीत

6	पैरा 9	निर्णीत । की गई कार्यवाही अनुसार ।
7	पैरा 10	—यथोपरि—
8	पैरा 11	—यथोपरि—

भाग—2

2. *वर्तमान अंकेक्षण :—*

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल के वर्तमान लेखों (1/2005 से 12/08) का अंकेक्षण/जांच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों मे दिये गये हैं। सर्वश्री विजय कुमार वालिया, अ0अ0 तथा विरेन्द्र कुमार, क0ले0प0 द्वारा दिनांक 29.1.2009 से 7.2.2009 तक के दौरान डमटाल कार्यालय में किया गया। माह 6/2005, 12/2005, 5/2006, 6/2006, 2/2007, 8/2007, 6/2008 तथा 11/2008 के लेखों का चयन आय तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु किया गया ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर प्रारूपित किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भीप्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत नहीं की गई है, के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है ।

3. *अंकेक्षण शुल्क :—*

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल डमटाल के वर्तमान लेखों (1/2005 से 12/2008) का अंकेक्षण शुल्क मु0 9900/— रू0 बनता है। उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अभियाचना संख्या 170 दिनांक 25.2.2009 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. *वित्तीय स्थिति :—*

मन्दिर न्यास के लेखों की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रकार से रही:—

	2005	2006	2007	2008
अग्रशेष	6131804.00	4945921.00	7182785.00	75421202.00
कुल प्राप्तियां	3805050.00	4775711.00	70961551.00	2043796.00
कुल योग	9936854.00	9721632.00	78144336.00	77464998.00
व्यय	4990933.00	2538847.00	2723134.00	2933857.00
अन्तशेष	4945921.00	7182785.00	75421202.00	74531141.00

अन्तशेष का विवरण —

(क) दिनांक 31.3.2008 को विभिन्न (निम्न विवरणानुसार) बैंकों के बचत खातों में जमा राशि :—

1 कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक [illegible] खाता संख्या [illegible] [illegible]

2 कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक [illegible] खाता संख्या [illegible] [illegible]

3	एस0बी0आई0 डमटाल खाता संख्या 11429569832	1372293.00
4	स्टेट बैंक आफ पटियाला नूरपुर खाता सं0 55104358358	14574.64
5	स्टेट बैंक आफ पटियाला खाता संख्या 55100094011	90027.30
	कुल जमा राशि	5860578.00

(ख) दिनांक 31.12.2008 को सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि :–

1	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक डमटाल खाता सं0 83999–10	407722.00
2	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक डमटाल खाता संख्या 173/9	361822.00
3	एस0बी0पी0 कन्दरोडी खाता संख्या 01202/50041	361345.00
4	एस0बी0पी0 नूरपुर खाता सं0 65016359684	66338161.00
5	एस0बी0आई0 डमटाल खाता संख्या 01252050134	1200210.00
	कुल जमा राशि	68669260.00

(ग) दस्तगत राशि (दिनांक 31.12.2008) 1303.00

कुल अन्तशेष राशि (क+ख+ग) : 5860578.00 + 68669260.00+1303.00 = 74531141.00

निवेश :– दिनांक 31.12.2008 को मन्दिर न्यास के खाते में से मु0 68669260.00 रूपये की राशि का निवेश किया गया। जिसका विस्तार पूर्वक विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	*खाता सं0*	*बैंक का नाम*	*जमा की तिथि*	*निवेशित राशि*	*परिपक्वता की तिथि*	*परिपक्वता राशि*	*टिप्पणी*
1	1159867	एस.बी.पी. कन्दरोडी	13.3.06	361345.00	12.3.09	445823.00	तीन वर्षीय
2	65016359684	एस.बी.पी.	26.2.07	66338161.00	26.2.10	87920552.00	तीन वर्षीय
3	006729	एस.बी.आई. डमटाल	9.3.07	1200210.00	8.3.11	1747269.00	चार वर्षीय
4	1093664	कां0के0स0बैंक कन्दरोडी	7.3.07	361822.00	6.3.11	472558.00	चार वर्षीय
5	1159656	कां0के0स0बैंक डमटाल	12.3.07	407722.00	11.3.09	447722.00	दो वर्षीय

सोना व चान्दी :–

अंकेक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के सोने व चान्दी की प्राप्ति मन्दिर न्यास के खातों में नहीं दर्शाई गई है ।

हिन्द पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड से किराये के रूप में मु0 61,600/– रूपये की राशि की वसूली :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त वर्णित फर्म से माह जून, 2008 से दिसम्बर, 2008 तक मु0 8,[illegible]00/– रू0 प्रतिमाह पैट्रोल पम्प के किराये के रूप में वसूल नहीं किये गये हैं। जिसका कारण स्पष्ट किया जाये।

अंकेक्षण अवधि के दौरान उपरोक्त वर्णित राशि की वसूली [illegible] उपरोक्त फर्म से किराये के सम्बन्ध में [illegible] नहीं की गई है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि [illegible] किये गये Agreement की शर्तों के अनुसार किराये की वसूली सुनिश्चित की जाये।

6. *किराये के रूप में मु0 9,26,659.00 रु0 की वसूली न करना :—*

किराये से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि (परिशिष्ट 'क' पर वर्णित) किरायेदारों द्वारा गत कई वर्षों से किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले अंकेक्षण के समय यह राशि 4,13,867.00 रुपये थी जो अब बढ़ कर 9,26,659.00 रुपये हो गई है तथा अगर यह इसी गति से बढ़ती रही तो अगले तीन--चार वर्षों में यह कई गुणा बढ़ जायेगी। अतः किराये की राशि की वसूली हेतु शीघ्र प्रभावी पग उठाये जाने तथा दुकानदारों प्लाट मालिकों द्वारा किराया समय पर न देने की स्थिति में किराये की बकाया राशि पर ब्याज का प्रावधान करके कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

7. *कशर मालिकों से किराये के रूप में मु0 11,23,000.00 रु0 की वसूली न करना :—*

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि (परिशिष्ट 'ख' पर वर्णित) कशर मालिकों से मु0 11,23,000.00 रु0 की राशि वसूली हेतु बकाया थी। इन कशरों में से कुछ कशर तो बन्द हो चुके हैं। कशर मालिकों से किराये की वसूली न करना एक लापरवाही का मामला है। अतः न्यास प्रशासन को यह सुझाव दिया जाता है कि इस बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र प्रयास किये जाये तथा समय पर बकाया राशि की वसूली न होने की स्थिति में ब्याज सहित किराये की वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

8. *भूमि सम्पत्ति बारे :—*

श्री राम गोपाल मन्दिर डमटाल के नाम हिमाचल प्रदेश में कुल 641--81--01 हैक्टेयर भूमि मौहाल डमटाल के अन्तर्गत है। जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कुल (7—49—73 + 0—14—33 + 0—04—327) = 7--68--38 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जा चुका है। अतः अब मन्दिर न्यास के पास हिमाचल प्रदेश में कुल 548—71—45 हैक्टेयर भूमि शेष है।

अभिलेख की जांच पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा उक्त भूमि का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। इस भूमि में से महाल सूरजपुर उपरला में 3—75—32 हैक्टेयर मलकियती भूमि पर फलदार आमों का बगीचा लगा हुआ है तथा जिसमें लगभग 200 फलदार आमों के पेड़ हैं। जिनकी निलामी से प्रतिवर्ष प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र0 सं0	वर्ष/दिनांक	खरीददार का नाम/बोली कर्ता	कुल प्राप्त आय	सरकारी बोली
1	2005 / 9.6.05	जगदीश चन्द निवासी सूरजपुर	91,000.00	—
2	2006 / 25.5.06	तरवीन्द्र सिंह सूरजपुर	3,20,000.00	1,00,000.00
3	2007 / 4.6.07	नरेश कुमार मुख्तारपुर	2,33,000.00	1,00,000.00
4	2008 / 5.6.08	तरवीन्द्र सिंह सूरजपुर	5,25,000.00	—

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से विदित होता है कि आय की फसल की निलामी में पारदर्शिता की कमी रही होगी अन्यथा निलामी से प्राप्त राशि की वर्षवार दरों में इतनी अधिक भिन्नता नहीं पाई जाती।

अतः यह परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में पूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए सहायक आयुक्त मन्दिर की देखरेख में निलामी की पूर्ण कार्यवाही अमल में लाई जाए। वर्ष 2005 में फसल नीलामी का कार्य सहायक आयुक्त मन्दिर की देख रेख में सम्पन्न हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप ही अधिक राशि प्राप्त हुई प्रतीत होती है।

(ख) इसके अतिरिक्त तहसील इन्दौरा के महाल डमटाल में 2.22.29 हैक्टेयर भूमि काश्त करने के लिए ठेके पर दी जाती है। जिससे लगभग 25000.00 रू0 की आय प्राप्त होती है।

9. बिल सं0 348 दिनांक 31.12.05 राशि मु0 600000.00 रू0 :–

आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के पत्र सं0 ऐ0डी0एम0–1/2005–मन्दिर–1019–1022 धर्मशाला को सिविल अस्पताल नूरपुर में दवाईयां/यन्त्र खरीदने हेतु 6 लाख रू0 की राशि श्री राम गोपाल मन्दिर न्यास डमटाल से मन्जूर की गई थी। इस राशि को नागरिक अस्पताल नूरपूर में रक्त बैंक के निर्माण एवं उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु स्वीकृत किया गया था। तथा जिसका भुगतान मन्दिर अधिकारी द्वारा चैक संख्या 835313 दिनांक 5.9.05 द्वारा किया गया।

अभिलेख की जांच पर पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा अभी तक उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एव क्रय की गई सामग्री की सूचि उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त व्यय की वैधता प्रमाणित नहीं की जा सकती। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा खरीदे गये सामान के बिलों की प्रति शीघ्र मंगवाई जाये तथा अगर अभी तक उक्त राशि का उपयोग सिविल अस्पताल नूरपुर द्वारा नहीं किया गया है। तो पूरी राशि को वापिस मंगवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10. *(i) बिल संख्या 332 दिनांक 9.12.05 राशि मु. 2,04,848.00 रूपये :–*
(ii) बिल संख्या 333 दिनांक 9.12.05 राशि मु. 72,407.00 रूपये :–

राशि मु0 2,04,848.00 रूपये का भुगतान श्री सर्वजीत सिंह कटोच (संविदाकार) को मन्दिर परिसर मुरम्मत कार्य (Job No.3) हेतु किया गया। इसी प्रकार 72,407.00 रूपये का भुगतान श्री अश्वनी कुमार संविदाकार को मन्दिर परिसर मुरम्मत कार्य (Job No.3) हेतु किया गया है।

अभिलेख की जांच पर पाया गया कि आयुक्त मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 23.11.2004 को डमटाल मन्दिर के अन्दर पुराने भवन की मरम्मत एवं प्रथम मंजिल के जीर्णोद्धार हेतु [illegible] की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। वह 14,43,812/– रू0 की अनुमानित राशि की [illegible] किया गया। जिसमें उक्त कार्य [illegible]

8/2005 में आरम्भ करके दिनांक 1/2007 को समाप्त किया। संविदाकार द्वारा पूरा कार्य मु0 15,44,831.00 रूपये में सम्पन्न किया गया।

इसी प्रकार प्राचीन भवन के जीर्णोद्धार हेतु मुख्य मन्दिर के बांयी ओर के भाग की मुरम्मत हेतु अनुमानित लागत 5,16,800.00 रूपये की स्वीकृति आयुक्त मन्दिर द्वारा 11/2004 में दी गई। यह निर्माण कार्य अश्वनी कुमार ठेकेदार को आंबटित किया गया। जिन्होंने उक्त कार्य दिनांक 1.9.05 को आरम्भ करके दिनांक 30.3.2007 को समाप्त किया। यह कार्य ठेकेदार द्वारा 1,75,764.00 रूपये में पूरा किया गया।

अतः श्री राम गोपाल मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर परिसर में पुराने भवन के जीर्णोद्धार पर कुल 17,20,595.00 रूपये की राशि खर्च की गई। जबकि जांच पर पाया गया कि मुरम्मत उपरान्त उक्त भवन से किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं की जा रही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त भवन से आय सृजन हेतु तथा उचित प्रयोग करने हेतु प्रभावशाली पग उठाये जायें ।

11. ***केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग से प्राप्त राशि मु0 6,63,38,161.40 रूपये बारे :-***

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन व राजमार्ग मन्त्रालय परियोजना कार्यन्वयन इकाई जालन्धर पठानकोट खण्ड 84–900 कि0मी0 से 87–900 कि0मी0 एवं 101–800 कि0मी0 से 109–880 कि0मी0 की फोरलेनिंग कार्य हेतु निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल की जमीन पड़ती है। (मौहाल डमटाल पटवार वृत डमटाल तहसील इन्दौरा) जिसमें से कुल 7–49–43 हैक्टेयर भूमि प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वर्णित सड़क के विस्तार हेतु अर्जित की गई तथा जिसके लिए कुल प्रतिकर राशि मु0 7,47,21,966.00 रूपये आंका गया। जिसमें से 10 प्रतिशत टी0डी0एस0 मु0 74,72,196.60 रूपये तथा cess 1% जो कि 7472196.60 रूपये सरचार्ज @ 0.2% up to lacs तथा @ 0.22% above to lacs जोकि मु0 1,64,388.325 रूपये बनता है। काटकर कुल 6,63,38,161.40 रूपये भुगतान मन्दिर न्यास डमटाल को आयुक्त मन्दिर एवं उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

मन्दिर प्रशासन द्वारा उक्त राशि को एस0बी0पी0 नूरपुर में सावधि जमा के रूप में तीन वर्षों के लिए निवेशित किया गया है । उक्त राशि को आयुक्त मन्दिर एवं सहायक आयुक्त मन्दिर से विचार विमर्श उपरान्त मन्दिर परिसर के सौन्दर्यकरण हेतु प्रयोग में लाया जाने बारे विचार किया जाये या इसे किसी और प्रयोग में निवेशित करने की सम्भावना बारे विचार किया जाये ।

119

लघु आपत्ति विवरणिका — यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

11. सारांश :— लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

12.

अनिल शर्मा

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009

कोप्रति

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)ए0(2)सी(15)(14)202/99, दिनांक,शिमला–171009 19 SEP 2009

5910-13

19 SEP 2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है

1. मन्दिर अधिकारी, श्री राम गोपाल मन्दिर ट्रस्ट डमटाल तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सारगर्भित उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें
2. उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0प्र0 हिमाचल प्रदेश ।
3. सचिव (भाषा विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
4. निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9

अनिल शर्मा

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009

कोप्रति